



भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023

प्रलिम्स के लिये:

[ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल](#), [भ्रष्टाचार](#), विश्व न्याय परियोजना (WJP), [अल्प वकिसति देश \(LDC\)](#)

मेन्स के लिये:

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार के सामान्य कारण और भारत में इसकी रोकथाम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

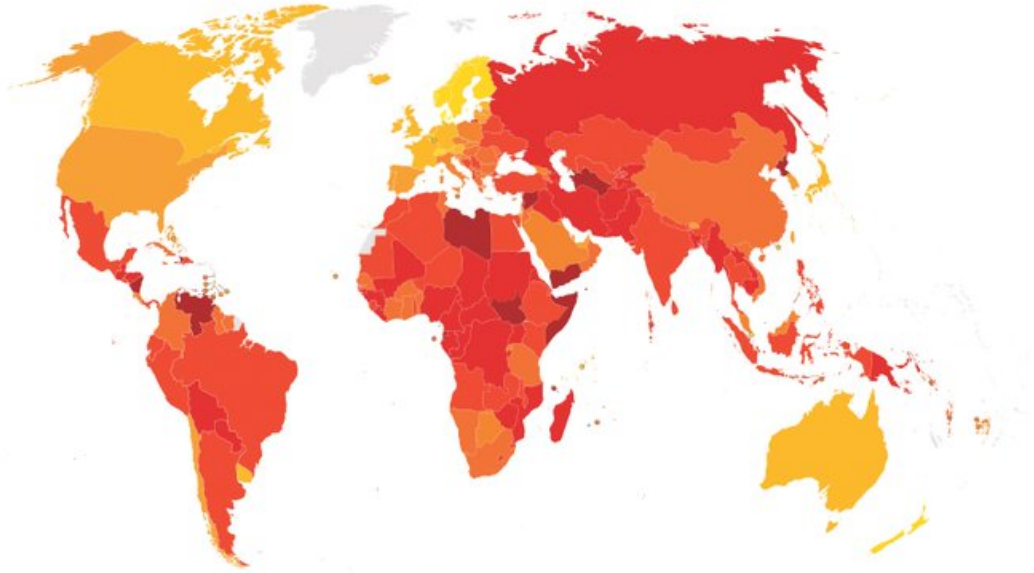
चर्चा में क्यों?

हाल ही में [ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल](#) द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perceptions Index- CPI), 2023 जारी किया गया है जिसके अनुसार अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का समाधान करने में बहुत कम अथवा कोई प्रगति नहीं की है।

- CPI विश्व भर के 180 देशों तथा क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (भ्रष्टाचार मुक्त) के पैमाने पर स्कोर करता है।

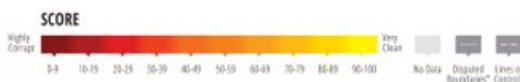
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



SCORE COUNTRY/TERRITORY

90	Denmark	68	United Arab Emirates	52	Fiji	42	Moldova	36	Ukraine	29	Bolivia	22	Congo
87	Finland	67	Taiwan	52	Saudi Arabia	42	North Macedonia	35	Bosnia and Herzegovina	29	Pakistan	22	Guinea-Bissau
85	New Zealand	66	Chile	51	Malta	42	Trinidad and Tobago	35	Dominican Republic	29	Papua New Guinea	21	Eritrea
84	Norway	64	Bahamas	50	Croatia	41	Burkina Faso	35	Egypt	28	Gabon	20	Afghanistan
83	Singapore	64	Cabo Verde	50	Malaysia	41	Kosovo	35	Nepal	28	Laos	20	Burundi
82	Sweden	63	Korea, South	49	Greece	41	South Africa	35	Panama	28	Mali	20	Chad
82	Switzerland	62	Israel	49	Namibia	41	Vietnam	35	Sierra Leone	28	Paraguay	20	Comoros
79	Netherlands	61	Lithuania	48	Vanuatu	40	Colombia	35	Thailand	27	Cameroon	20	Democratic Republic of the Congo
78	Germany	61	Portugal	47	Armenia	40	Côte d'Ivoire	34	Ecuador	26	Guinea	20	Myanmar
78	Luxembourg	60	Latvia	46	Jordan	40	Guyana	34	Indonesia	26	Kyrgyzstan	20	Sudan
77	Ireland	60	Saint Vincent and the Grenadines	46	Kuwait	40	Suriname	34	Malawi	26	Russia	20	Tajikistan
76	Canada	60	Spain	46	Montenegro	40	Tanzania	34	Philippines	26	Uganda	18	Libya
76	Estonia	59	Botswana	45	Bulgaria	39	India	34	Sri Lanka	25	Liberia	18	Turkmenistan
75	Australia	58	Qatar	45	Sao Tome and Principe	39	Kazakhstan	34	Turkey	25	Madagascar	17	Equatorial Guinea
73	Hong Kong	57	Czechia	44	Jamaica	39	Lesotho	33	Angola	25	Mozambique	17	Haiti
73	Belgium	56	Dominica	43	Ghana	38	Morocco	33	Mongolia	24	Nigeria	17	Korea, North
73	Japan	56	Italy	43	Oman	37	Argentina	33	Peru	24	Bangladesh	17	Nicaragua
73	Uruguay	55	Slovenia	43	Senegal	37	Belarus	33	Uzbekistan	24	Central African Republic	16	Yemen
72	Iceland	54	Poland	43	Solomon Islands	37	Ethiopia	32	Niger	24	Iran	13	South Sudan
71	Austria	54	Slovakia	43	Timor-Leste	37	Gambia	31	El Salvador	24	Lebanon	13	Syria
71	France	53	Cyprus	42	Bahrain	36	Algeria	31	Kenya	23	Zimbabwe	13	Venezuela
71	Seychelles	53	Georgia	42	China	36	Brazil	30	Mexico	23	Azerbaijan	11	Somalia
71	United Kingdom	53	Grenada	42	Hungary	36	Serbia	30	Djibouti	23	Guatemala		
69	Barbados	53	Rwanda					30	Eswatini	23	Honduras		
69	United States							30	Mauritania	22	Iraq		
68	Bhutan										Cambodia		



*The designations employed and the presentation of material on this map follow the UN practice to the best of our knowledge and as of January 2024. They do not imply the expression of any opinion on the part of Transparency International concerning the legitimacy of any country, territory, city or area or of its authorities or concerning the delineation of its frontiers or boundaries.

#CPI2023

www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2024) is licensed under CC BY-ND 4.0

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन (जर्मनी) में की गई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक सामाजिक भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का समाधान करना तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न

होने वाली आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु कार्रवाई करना है।

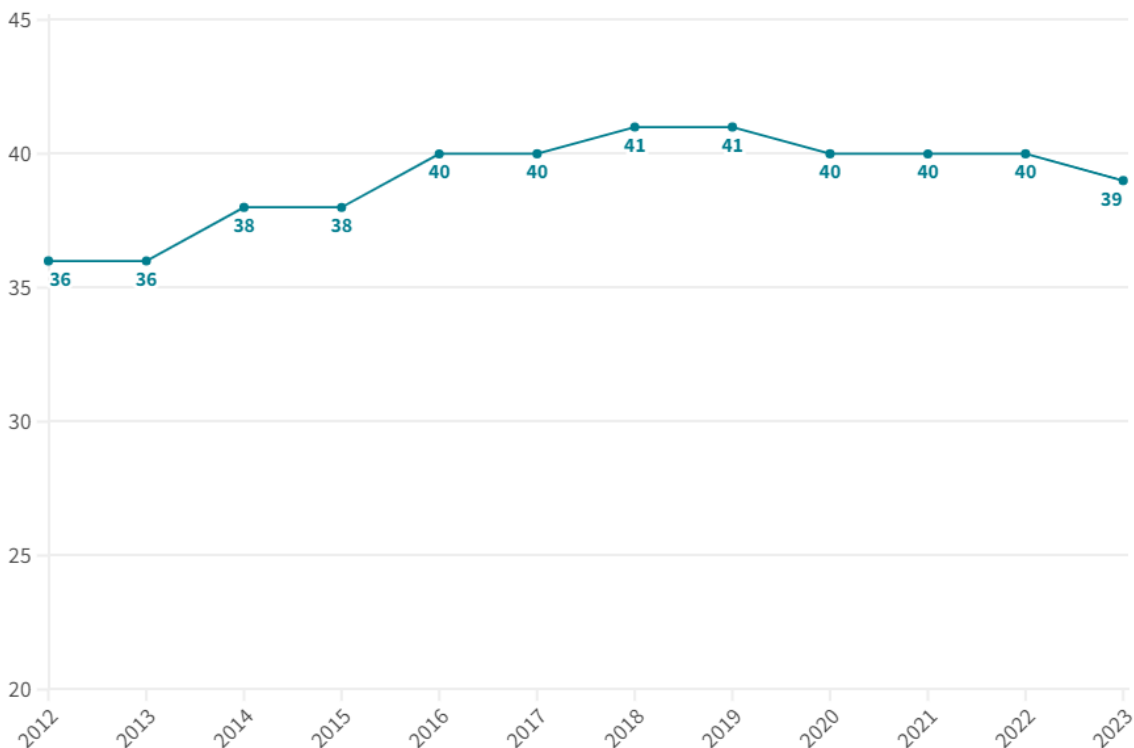
- इसके सबसे उल्लेखनीय प्रकाशनों में **ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर** और **करप्शन परसेप्शन इंडेक्स** शामिल हैं।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI) 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **वर्ष भर में गंभीर भ्रष्टाचार:**
 - दो-तर्फी से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है जो दृढ़ता से इंगित करता है कि उनमें **भ्रष्टाचार** की गंभीर समस्याएँ मौजूद हैं।
 - वैश्विक औसत स्कोर केवल 43 पर रहा तथा अधिकांश देशों ने पछिले दशक की तुलना में कोई प्रगति नहीं की अथवा गतिविरत आई।
- **CPI 2023 की वैश्विक विशेषताएँ:**
 - **शीर्ष तीन देश:** डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ **निरंतर छठे वर्ष** सूचकांक में शीर्ष पर है, फिनलैंड और न्यूज़ीलैंड क्रमशः 87 तथा 85 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
 - सुव्यवस्थित रूप से संचालित न्यायिक प्रणालियों के कारण, ये देश वधिसिम्मत शासन सूचकांक (Rule of Law Index) में भी शीर्ष देशों में शामिल हैं।
 - **नम्र स्कोर प्राप्तकर्ता:** सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, दक्षिण सूडान और यमन अपने स्कोर क्रमशः 11, 13, 13, 13 के साथ सूचकांक में नचिले स्थान पर हैं।
 - ये सभी देश लंबे समय से संकटों, अधिकतर सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित हैं।
 - **भारत की रैंक और स्कोर:**
 - CPI 2023 में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर था।
 - वर्ष 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 था जो वर्ष 2022 में प्राप्त स्कोर 40 से कम है।
 - वर्ष 2022 में भारत 85वें स्थान पर था।

India's Corruption Perception Index score

2012 - 2023



Source: www.transparency.org • The Hindu Graphics

- **न्याय तक पहुँच तथा भ्रष्टाचार:**
 - **रूल ऑफ लॉ इंडेक्स** के अनुसार विश्व भर में न्यायिक प्रणालियों के संचालन में गतिविरत देखी जा रही है।
 - **रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP)** द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो विश्व स्तर पर वधिका शासन को सुदृढ़ करने के लिये कार्य करने वाला एक स्वतंत्र संगठन है।
 - यह सूचकांक वधिसिम्मत शासन के कई आयामों पर डेटा प्रदान करता है जनिहें आगे 44 संकेतकों में वभिाजति किया गया है।

- रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे कम स्कोर वाले देश **CPI में भी बहुत कम स्कोर कर रहे हैं** जो न्याय तक पहुँच तथा भ्रष्टाचार के बीच स्पष्ट संबंध को उजागर करता है।
- **भ्रष्टाचार में योगदान देने वाले कारक:**
 - सत्तावादी और लोकतांत्रिक दोनों नेता न्याय को कमजोर कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार के लिये दंडमुक्त को बढ़ा रहा है तथा यहाँ तक कि अपराधियों हेतु परिणामों को समाप्त करके इसे प्रोत्साहित भी कर रहा है।
 - रश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग जैसे भ्रष्टाचार भी दुनिया भर में कई अदालतों तथा अन्य न्यायिक संस्थानों में घुसपैठ कर रहे हैं।
 - जहाँ भ्रष्टाचार आम बात है, वहाँ कमजोर लोगों की न्याय तक पहुँच सीमिति है, जबकि अमीर और शक्तिशाली लोग आम भलाई की कीमत पर पूरी न्याय प्रणाली पर कब्ज़ा कर लेते हैं।
- **मुख्य सफ़ाई:**
 - भ्रष्टाचार तब तक बढ़ता रहेगा जब तक न्याय प्रणालियाँ गलत कामों को दंडित नहीं कर सकती और सरकारों पर नियंत्रण नहीं रख सकती। जब भ्रष्टाचार कायम रहता है और न्याय पैसे या राजनीति से प्रभावित होता है, तो इससे आम जनता को नुकसान होता है।
 - अब समय आ गया है कि बाधाओं को तोड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को प्रभावी ढंग से न्याय मलि सके। हर कोई नषिपकष तथा समावेशी कानूनी प्रणाली का हकदार है जहाँ पीड़ितों की आवाज़ हर स्तर पर सुनी जाती है।

- **पाकस्तान और श्रीलंका:**
 - 180 देशों में पाकस्तान 133वें और श्रीलंका 115वें स्थान पर है।
 - दोनों देश अपने-अपने कर्ज़ को बोझ और **राजनीतिक अस्थिरता** से जूझ रहे थे।
 - हालाँकि दोनों देशों में **मज़बूत न्यायिक नगिरानी** है, जो सरकार को नयित्रण में रखने में मदद करती है।
 - पाकस्तान के **सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संवधान के अनुच्छेद 19A के तहत पहले से प्रतर्बिधति संस्थानों तक इस अधिकार का वसितार** करके नागरिकों के सूचना के अधिकार को मज़बूत किया।
- **बांग्लादेश:**
 - बांग्लादेश (149वें स्थान पर) **सबसे कम विकसित देश (LDC)** की स्थितिसे बाहर आया है, आर्थिक विकास से गरीबी में लगातार कमी और रहने की स्थिति में सुधार में मदद मलि रही है।
 - प्रेस के खिलाफ चल रही **कार्रवाई के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना का प्रवाह बाधति** हो गया है।
- **चीन:**
 - चीन (76वें स्थान पर) ने पछिले दशक में भ्रष्टाचार के लयि 3.7 मलियन से अधिक सार्वजनिक **अधिकारियों को दंडति करके अपनी आक्रमक भ्रष्टाचार वरिंधी कार्रवाई** की है। चीन में सार्वजनिक अधिकारी अक्सर अपनी आय बढ़ाने हेतु भ्रष्टाचार का उपयोग करते हैं।
 - हालाँकि **सत्ता पर संस्थागत जाँच के बजाय सज़ा पर देश की भारी नरिभरता** ऐसे भ्रष्टाचार वरिंधी उपायों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर संदेह पैदा करती है।

- **परिचय:**
 - **कपटपूर्ण भ्रष्टाचार:** यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएँ बेईमान या धोखाधड़ी वाले उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मलिकर साजिश रचते हैं। इसमें ससिस्टम या प्रक्रियाओं की अखंडता को कमजोर करने हेतु अक्सर पारस्परिक लाभ के लिये पार्टियों के बीच एक सहकारी प्रयास शामिल होता है।
 - **अनविरय भ्रष्टाचार:** भ्रष्टाचार के इस रूप में व्यक्तियों को बेईमान गतिविधियों में शामिल होने के लिये मजबूर या बाध्य किया जा अनविरयता है।
 - जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वे व्यक्ति हो सकते हैं या वे व्यवसायों या सरकारों जैसे संगठनों से संबंधित हो सकते हैं।
- **लोक सेवा में भ्रष्टाचार की व्यापकता के कारण:**
 - **संरक्षण:** सविलि सेवा पदों का उपयोग राजनीतिक समर्थन के लिये पुरस्कार के रूप में या रशिवत के बदले में किये जाने से व्यापक भ्रष्टाचार हो सकता है।
 - जब व्यक्तियों को योग्यता के बजाय वफादारी के आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो यह सार्वजनिक संस्थानों की अखंडता को कमजोर करता है।
 - **वेतन असमानताएँ:** निजी क्षेत्र की तुलना में लोक सेवकों के लिये कम वेतन वित्तीय दबाव उत्पन्न कर सकता है। कुछ कर्मचारी आय की असमानता को दूर करने और अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के साधन के रूप में रशिवत लेने का सहारा ले सकते हैं।
 - **राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव:** राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव भ्रष्टाचार-अनुकूल माहौल को बढ़ावा दे सकता है, जहाँ योग्यता के बावजूद भ्रष्टाचार समर्थकों को पुरस्कृत करना नषिपक्षता और जवाबदेही को कमजोर करता है।
 - यह व्यक्तियों को पद प्राप्त करने या इन पदों पर बने रहने के लिये भ्रष्टाचार का सहारा लेने हेतु मजबूर कर सकता है, जिससे एक अनैतिक चक्र कायम हो सकता है।

- **लोगों और सारवजनकि जीवन पर:**

- **सेवाओं में गुणवत्ता का अभाव:** भ्रष्टाचार युक्त तंत्र में, सेवा की गुणवत्ता कम या बिल्कुल न के बराबर होती है।
 - गुणवत्ता की मांग करने पर किसी व्यक्ति को इसके लिये भुगतान करना पड़ जाता है। यह नगर पालिका, बजिली, राहत राशवितरण आदि कई क्षेत्रों में देखा व्याप्त है।
 - **उचित न्याय का अभाव:** न्यायपालिका तंत्र में भ्रष्टाचार के कारण अनुचित न्याय मलित है और पीड़ितों को परेशानी हो सकती है।
 - साक्ष्यों की कमी या यहाँ तक कि साक्ष्य मटि दिये जाने के कारण भीकसी अपराध को संदेहात्मक लाभ के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है।
 - पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार के कारण जाँच प्रक्रिया दशकों से चल रही है।
 - **अवसर की हानि और समय पर सेवा से इनकार:** भ्रष्टाचार न केवल वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, बल्कि व्यक्तियों के लिये अवसरों की हानि का कारण भी है।
 - समय पर सेवाओं, नौकरी के अवसरों और संसाधनों तक उचित पहुँच से इनकार असमानता को कायम रखता है तथा सामाजिक प्रगति में बाधा डालता है।
- **समाज पर:**
- **सरकार में अवशिष्ट:** मतदाता विश्वास के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन यदि नेता भ्रष्टाचार में लपित हो जाते हैं, तेलों में विश्वास समाप्त हो जाता है और अगली बार मतदान करने से परहेज़ (**मतदाता उदासीनता**) कर सकते हैं।
 - **मुख्य गतिविधियों को हतोत्साहित करना:** भ्रष्टाचार ग्रस्त माहौल में, व्यक्तियों को प्रायः मुख्य गतिविधियों में शामिल होने से हतोत्साहित किया जाता है।
 - प्रतिशोध का डर, सामाजिक कलंक या प्रभावी सुरक्षा तंत्र की कमी भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर करने में बाधा उत्पन्न करती है।
 - **भ्रष्टाचार का नियमिती (आम बात) हो जाना:** जिन समाजों में भ्रष्ट आचरण सामान्य हो जाता है, वहाँ व्यक्ति धीरे-धीरे ऐसे व्यवहार को अपने दैनिक जीवन के नियमिती हिससे के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह नैतिक संरचना को कमजोर करता है, जिससे सार्वजनिक सुधारों को प्रेरित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **अर्थव्यवस्था पर:**
- **व्यवसाय करने में आसानी का अभाव:** भ्रष्टाचार में प्रायः रश्वत और दलाली शामिल होती है, जिससे व्यवसाय करने की लागत बढ़ जाती है।
 - **वदेशी निवेश में कमी:** सरकारी निकायों में भ्रष्टाचार के कारण विकासशील देशों में कई वदेशी निवेश वापस हो चुके हैं।
 - **विकास का अभाव:** किसी विशेष क्षेत्र में शुरू करने के इच्छुक कई नए उद्योग उस क्षेत्र के लिये अनुपयुक्त होने पर अपनी योजनाएँ बदल देते हैं।
 - यदि सिड़कें, जल और ऊर्जा की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो कंपनियाँ वहाँ अपना व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहती हैं, जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में बाधा आती है।
 - **लालफीताशाही:** लालफीताशाही का तात्पर्य चरम नौकरशाही प्रक्रियाओं, जटिल नियमों और प्रशासनिक विलंब से है, जो भ्रष्ट आचरण का माहौल बनाता है।
 - **प्रतस्पर्धा का अभाव:** भ्रष्टाचार अक्सर कुछ व्यवसायों या व्यक्तियों के पक्ष में बाजारों में हेरफेर की ओर ले जाता है। इसके परिणामस्वरूप एकाधिकार या अल्पाधिकार हो सकता है, प्रतस्पर्धा सीमिति हो सकती है और नवाचार बाधित हो सकता है।
 - **काले धन और काला बाज़ारी की व्यापकता:** काला धन, जो कि सरकार को घोषित नहीं की गई आय है, के परिणामस्वरूप कर राजस्व कम हो जाता है।
 - यह आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की सरकार की क्षमता को सीमिति करता है।
 - एक काला बाज़ारी का असतत्व औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है, क्योंकि कानूनी व्यवसायों को प्रतिबिंब रूप में काम करने वालों से अनुचित प्रतस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिये भारतीय पहल क्या हैं?

- [भारतीय दंड संहिता, 1860](#)
- [भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988](#)
- [धन शोधन निवारण अधिनियम \(Prevention of Money Laundering Act\), 2002](#)
- [वदेशी अंशदान \(वनिियमन\) अधिनियम, 2010](#)
- [कंपनी अधिनियम \(The Companies Act\), 2013](#)
- [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013](#)
- [केंद्रीय सतर्कता आयोग](#)
- [केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली \(CPGRAMS\)](#)

निष्कर्ष

- **सविलि सर्विस बोर्ड** की स्थापना करके सरकार अत्यधिक राजनीतिक नियंत्रण पर अंकुश लगा सकती है। **अनुशासनात्मक प्रक्रिया** को सरल बनाकर और विभाग के भीतर निवारक सतर्कता को मज़बूत करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भ्रष्ट सविलि सेवक संवेदनशील पदों पर न बैठें।
- सरकार **iGOT-कर्मयोगी** जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर काम कर सकती है, जो एक सतत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, जो सहायक सचिव से सचिव स्तर तक के सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके डोमेन क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण से गुज़रने की अनुमति देगा।

- सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये सभी सविलि सेवकों को मूल्य-आधारित प्रशिक्षण पर बल देना महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक नैतिकता सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक अभिन्न अंग होनी चाहिये और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशों के आधार पर सविलि सेवकों के लिये एक व्यापक आचार संहिता का सृजन किया गया।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वरित वरष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. 'बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. किसी संपत्ति लेन-देन को बेनामी लेन-देन नहीं माना जाता है यदि संपत्ति के मालिक लेन-देन से अवगत नहीं है।
2. बेनामी संपत्तियाँ सरकार द्वारा अधिग्रहीत की जा सकती हैं।
3. अधिनियम में जाँच के लिये तीन प्राधिकरणों का प्रावधान है लेकिन किसी भी अपील तंत्र का प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. चर्चा कीजिये किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये। (2021)

प्रश्न. "आर्थिक प्रदर्शन संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है"। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सविलि सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये। (2020)